

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 634 / 12

संस्थापन दिनांक:-03 / 12 / 12

फाईलिंग नं. 233504000662012

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

दुर्गेश पिता भगवंतराव कुंबी
उम्र 20 वर्ष, निवासी जम्बाड़ा,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 09.06.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 02.12.2012 को समय शाम 04:30 बजे या उसके लगभग पूर्व 12 कि.मी. बाजार चौक जम्बाड़ा लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 15 इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 02.12.2012 को नगर निरीक्षक आर.के. दुबे को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति बाजार चौक जम्बाड़ा में हाथ में लोहे की छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां एक व्यक्ति हाथ में लोहे की छुरी लेकर घूम रहा था जिसे हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया एवं पूछताछ करने पर उसने अपना नाम दुर्गेश पिता भगवंतराव बताया तथा अवैध रूप से शस्त्र रखने के संबंध में लायसेंस नहीं होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 353/12 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.12.2012 को समय शाम 04:30 बजे या उसके लगभग पूर्व 12 कि.मी. बाजार चौक जम्बाड़ा लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 15 इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 आर.के. दुबे (अ.सा.-3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 02.12.2012 को थाना आमला में टी.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए उसे कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के साथ ग्राम जम्बाड़ा बाजार चौक जाना, जहां उसने गवाहों के समक्ष अभियुक्त के कब्जे से एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श पी-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क्र. 353/12 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-4) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल-ए1 की छुरी वही छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त के कब्जे से जप्त किया था।

6 योगेश (अ.सा.-2) ने दिनांक 02.12.2012 को थाना आमला में आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को प्रधान आरक्षक बिसनसिंह के साथ कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना मिलने पर वह हमराह जम्बाड़ा चौक गया था जहां एक व्यक्ति हाथ में छुरी लिये घूम रहा था जिसे उन्होंने घेराबंदी कर पकड़कर छुरी जप्त कर थाना लेकर आना बताया है।

7 जाकिर खान (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि दिनांक 02.12.2012 को थाना आमला में आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को कस्बा भ्रमण के दौरान टी.आई. साहब को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह जम्बाड़ा गया था जहां एक व्यक्ति हाथ में लोहे का छुरा लहराते हुए लोगों को डरा धमका रहा था जिसे घेराबंदी कर पकड़ने पर उसने अपना नाम दुर्गेश पिता बलवंत बताया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्त द्वारा छुरा रखने के संबंध में लायसेंस नहीं होना बताये जाने पर

अभियुक्त से मौके पर छुरा जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया था तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था।

8 मुकेश (अ.सा.-1) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है। साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उसके हस्ताक्षर होने से भी इनकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।

9 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी मुकेश ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर योगेश (अ.सा.-2), आर.के. दुबे (अ.सा.-3) एवं जाकिर खान (अ.सा.-3) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

10 आर. के. दुबे (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में मुखबिर से सूचना मिलने पर ग्राम जंबाड़ा में जाकर अभियुक्त से गवाहों के समक्ष छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार करना तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। प्रति परीक्षण में साक्षी से औपचारिक स्वरूप के प्रश्न किए गए हैं जिससे कि साक्षी के द्वारा की अनुसंधान कार्यवाही का ब्यौरा प्रकट होता है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) पर अपराध क्रमांक लेख है, जिससे इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के बाद तैयार किए गए होंगे। विवेचक साक्षी की साक्ष्य से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि जप्तशुदा आयुध धारदार था तथा इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण भी साक्षी के कथनो से प्रकट नहीं हुआ है। प्रकरण में मूल रवानगी एवं वापसी का रोजनामचा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियुक्त से जप्ती का समर्थन नहीं किया है। जप्तशुदा आयुध की नाप मौके पर किससे की गई इस संबंध में भी विवेचक साक्षी ने कोई कथन नहीं किए हैं। अतः ऐसी दशा में निश्चायक रूप से यह भी नहीं कहा जा सकता है कि जप्तशुदा आयुध अधिसूचना में वर्णित आकार प्रकार का था अथवा नहीं। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है। जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

11 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 02.12.2012 को समय शाम 04:30 बजे या उसके लगभग पूर्व 12 कि.मी. बाजार चौक जम्बाड़ा लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 15 इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य

में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त दुर्गेश को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

12 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

13 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)